संख्या-180/2017/3230/26-3-2017-4(154)/2005

प्रेषक

रवि शंकर मिश्र,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 नवम्बर 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत संचालित संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के प्रचार-प्रसार हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-143/ज.जा.वि./2017-18 दिनांक-01.08.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 में संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्र्तगत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपया-52.30 लाख (रूपया बावन लाख तीस हजार मात्र) के सापेक्ष उक्त योजनान्तर्गत विगत वर्षो की केन्द्रांश की राज्य स्तर पर उपलब्ध रूपया-1.62 लाख (रूपया एक लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि को संलग्न कार्य योजना के अनुसार श्री राज्यपाल निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष वनाधिकार अधिनियम-2006 के प्रचार-प्रसार की कार्य योजना पर व्यय वित्तीय नियमों एवं सुसंगत शासनादेश तथा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(2)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी.एल.ए./बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(4)- स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र फोटोग्राफ्स सहित नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-180/2017/3230(1)/26-3-2017-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2-अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय,भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5-समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ)

6-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।